मिसल नम्बर 108/2019
निर्णय दिनांक 31-10-2019

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- कृष्ण सिंह (RTS)
मिसल नम्बर :- **108/2019**

सरकार

बनाम

सुर्यप्रकाश पुत्र बजरंगलाल शर्मा निवासी खरखड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

....................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- **31-10-2019**

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल हाजिर। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का **खरखड़ा** के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम **खरखड़ा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1577/1250 रकबा 3.27 हेक्टेयर किस्म बंजड़-2 के रकबा 0.43 हेक्टेयर पर फसल बाजरा काश्त, रकबा 0.57 हेक्टेयर पर छड़ी-बाड़ करके गैर सायल ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है जिसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने जबाब नोटिस इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 1250 में प्रार्थी के पिता के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें खेती में काम आने वाले औजार फावड़ी गेती जेली आदि रख रखे हुए है। इसी भूमि खण्ड में जलाने की लकड़ी तथा पशुआ का खाद डाल रखा है। बाजरा काश्त कर रखी थी जिसकी कटाई हो गई है। मेरा मेरे पास पिता के समय से कब्जा होने के सबूत है।

अतः जबाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि नोटिस खारिज फरमाया जाकर दाखिल दफ्तर फरमाया जावे।

गैर सायल को सुना गया। गैर सायल ने प्रश्नगत राजकीय भूमि पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण की बाबत पुराना कब्जा होने की ताईद में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है।

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज)

Scanned by CamScanner

मिसल नम्बर 108/2019
निर्णय दिनांक 31–10–2019

पत्रावली पर उपलब्ध जबाब नोटिस धारा 91 व पटवारी हल्का **खरखड़ा** की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल ने राजस्व ग्राम **खरखड़ा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1577/1250 रकबा 3.27 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.43 हेक्टेयर पर फसल बाजरा काश्त, रकबा 0.57 हेक्टेयर पर छड़ी–बाड़ करके अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का खरखड़ा की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का खरखड़ा के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम **खरखड़ा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1577/1250 रकबा 3.27 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 1.00 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 0.62 रूपये का 50 गुणा = 31/- रूपये तावान कायम व वसूली का व **फसल बाजरा को राजहक में जप्त कर निलाम किये जाने का आदेश दिया जाता है।** तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का **खरखड़ा** से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की राजस्व ग्राम **खरखड़ा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1577/1250 रकबा 3.27 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 1.00 हेक्टेयर पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31–10–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार, खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज)

Scanned by CamScanner